सं. 55/13/2023-पी&पीडबल्यू(सी)(पार्ट 1)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 15.10.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की बाबत ऑनलाइन(भविष्य/ई-एचआरएमएस) के माध्यम से पेंशन मामलों को एकल पेंशन आवेदन प्ररूप 6-क में प्रस्तुत करना।

कृपया नए एकल पेंशन आवेदन प्ररूप 6-क, जिसे सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा भरा जाना अपेक्षित है, के लागू होने के संबंध में भारत के राजपत्र में दिनांक 16.07.2024 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.410 (ई) का संदर्भ ग्रहण करें। यह नया प्ररूप 6-क अधिसूचना की तारीख से 120 दिनों के पश्चात अर्थात 16.11.2024 से लागू होने वाला है।

2. तथापि, नया प्ररूप 6-क को भविष्य और ई-एचआरएमएस में समाविष्ट कर लिया गया है और दिनांक 15.10.2024 से यह सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लाइव हो रहा है।

3. अतः सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन(भविष्य/ई-एचआरएमएस) माध्यम से नया एकल पेंशन आवेदन प्ररूप 6-क भरें।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।

विशाल

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
3. सी&एजी, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
4. सीजीए, व्यय विभाग, आईएनए, नई दिल्ली
5. एनआईसी को इस विभाग के वेबसाइट पर डालने हेतु।